भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 826
25.11.2019 को उत्तर के लिए

विलुप्तप्राय प्रजातियों को बचाया जाना

826. श्री संजय सिंह :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विलुप्तप्राय प्रजातियों की संख्या में कोई वृद्धि या कमी हुई है;
(ख) विलुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने और इनकी संख्या में वृद्धि के लिए सरकार के विचाराधीन उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(ग) अवैध रूप से इन्हें मारने और शिकार करने की गतिविधियों पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए क्या-क्या उपाय किए गए हैं?

<u>उत्तर</u>

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क) प्रमुख फ्लैगशिप प्रजातियों की संख्या की गणना संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा राज्य स्तर पर आवधिक रूप से की जाती है। तथापि, बाघ तथा हाथी की गणना राष्ट्रीय स्तर पर क्रमश: प्रत्येक चार और पांच वर्षों के अंतराल पर की जाती है। राज्य तथा केंद्र सरकार द्वारा की गई नवीनतम गणना की रिपोर्ट के अनुसार, देश में विलुप्तप्राय प्रजातियों विशेषकर शेरों, गैंडों, बाघों और हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है।

(ख) मंत्रालय केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 'वन्यजीव पर्यावास का विकास' के अंतर्गत गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों और उनके पर्यावासों को बचाने के लिए पुन:प्राप्ति कार्यक्रम घटक के तहत गंभीर रूप से संकटापन्न प्रजातियों की पुन:प्राप्ति कार्यक्रम हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

मंत्रालय ने देश में वन्य पशुओं को बचाने के लिए 2017 से 2031 तक की अवधि के लिए तीसरी 'राष्ट्रीय वन्यजीव कार्ययोजना' बनायी है। इस योजना में इस बात के निरपेक्ष कि कोई वन्यजीव कहां पाया जाता है, सभी के संरक्षण में भू-दृश्य दृष्टिकोण पर बल दिया गया है। इसमें वन्यजीव की संकटापन्न प्रजातियों की पुन:प्राप्ति के साथ-साथ उनके पर्यावासों, जिनमें स्थलीय, आंतरिक जलीय, तटीय और समुद्री पारि-तंत्र शामिल हैं, के संरक्षण पर विशेष बल दिया गया है।

(ग) सरकार द्वारा वन्य पशुओं को अवैध रूप से मारे जाने और उनके शिकार को रोकने के लिए किए गए उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं :

i. वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में इसके उपबंधों का उल्लघंन किए जाने पर सजा का प्रावधान है। इस अधिनियम में किसी उपस्कर, वाहन अथवा हथियार, जिसका उपयोग वन्यजीव अपराध करने हेतु किया गया है, को जब्त करने का भी प्रावधान है।

ii. राज्यों में कानून प्रवर्तन प्राधिकरणों द्वारा वन्य पशुओं के अवैध शिकार पर कड़ी निगरानी रखी जाती है।

iii. वन्यजीवों के अवैध शिकार तथा उनके उत्पादों के अवैध व्यापार के बारे में आसूचना एकत्रित करने तथा वन्यजीव कानूनों के प्रवर्तन में अंतर-राज्यीय और सीमापारीय समन्वयन स्थापित करने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना की गई है।

iv. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से संरक्षित क्षेत्रों में और उसके आस-पास के क्षेत्रों में क्षेत्र संरचना को सुदृढ़ करने और गश्त बढ़ाने का अनुरोध किया गया है।

v. वन्यजीवों और उनके पर्यावासों को संरक्षण प्रदान करने के लिए वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अंतर्गत देशभर में महत्वपूर्ण वन्यजीव पर्यावासों को शामिल करते हुए सुरक्षित क्षेत्र अर्थात राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व सृजित किए गए हैं।

vi. वन्यजीवों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और उनके पर्यावासों में सुधार करने के लिए केंद्रीय प्रायोजित स्कीमों - 'वन्यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास', 'बाघ परियोजना' और 'हाथी परियोजना' के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

****